

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफेशर / जोधपुर / 08 / १५६      दिनांक: ०५ अगस्त, 2011

निदेशक,

अकादमी स्टॉफ कॉलेज,

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

विषय:- दिनांक 22-08-11 से 10-09-11 तक विधि विषय पर आयोजित रिफेशर  
कोर्स बाबत

संदर्भ:-आपका पत्रांक जेएनवीयू/एएससी/11/5272 दिनांक 1-8-11

### महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार दिनांक 22-08-11 से 10-09-11 तक विधि विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	व्याख्याता का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम
1.	डा. राजेश नारायण चौधरी	विधि	राज. विधि महा. अजमेर
2.	श्री अनिल कुमार जैफ	विधि	राज. विधि महा. अलवर
3.	श्री सुगल राम रैगर	विधि	राज. विधि महा. अलवर
4.	डा. फातिमा तलत	विधि	राज. विधि महा. धौलपुर
5.	श्री राज कुमार उपाध्याय	विधि	राज. विधि महा. कोटा

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र अपने स्तर पर भेजे तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

  
संयुक्त निदेशक

क्रमांक एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफेशर / जोधपुर / 08 / १५६

दिनांक: ०५ अगस्त, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1-संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सूनिश्चित करें:-

- (अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 22.08-11 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक अकादमी स्टाफ कालेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
- (ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात दो रिफेशर करना अनिवार्य है।
- (स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालय से रिफेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियन्टेशन/रिफेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्र हित को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
- 2. संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च, 2012 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है। जिन्हें विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
- 5. रक्षित पत्रावली ।
- 6. इन्चार्ज वैबसाईट।

  
संयुक्त निदेशक